प्रेस विज्ञप्ति
31.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने **धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के अंतर्गत 30.07.2026 को** कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ के.के. श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। कृष्ण कुमार श्रीवास्तव को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें नौ दिनों अर्थात 07.08.2026 तक ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया गया।

ईडी ने यह जांच थाना तेलीबांधा, रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर तथा उसके पश्चात छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा कृष्ण कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी, फॉर्जरी, आपराधिक अभित्रास (इंटिमिडेशन) तथा आपराधिक षड्यंत्र के अपराधों के संबंध में दायर आरोप-पत्र के आधार पर प्रारंभ की थी।

ईडी की जांच में यह उजागर हुआ कि जून, 2023 में कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने एम/एस रावत एसोसिएट्स के स्वामी को यह झूठा विश्वास दिलाया कि लगभग 500 करोड़ रुपये लागत की रायपुर स्मार्ट सिटी परियोजना में उप-ठेका उपलब्ध है तथा इसके लिए 15 करोड़ रुपये की राशि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में आवश्यक है। अपनी धोखाधड़ी को विश्वसनीय बनाने के लिए उसने परियोजना से संबंधित जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए। यह धनराशि पांच बैंक खातों में हस्तांतरित की गई, जिनका विवरण उसके एक कर्मचारी के नाम पर प्राप्त मोबाइल कनेक्शन से व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया था। जांच में आगे यह भी पता चला कि ये बैंक खाते कथित खाताधारकों की जानकारी के बिना धोखाधड़ीपूर्वक खोले गए थे तथा पांचों संस्थाएं अपने पंजीकृत पते पर अस्तित्व में नहीं पाई गईं।

आगे की जांच में यह भी उजागर हुआ कि अपराध से अर्जित आय को शेल एवं माध्यम (Conduit) संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से तीव्र गति से लेयरिंग किया गया तथा अंततः माल-भाड़ा एवं कंटेनर लीजिंग जैसे काल्पनिक वाणिज्यिक विवरणों के आधार पर दुबई (यूएई), हांगकांग, चीन तथा सिंगापुर में स्थित लाभार्थियों को भारत से बाहर प्रेषित कर दिया गया। पीड़ित को लौटाई गई **3.40 करोड़ रुपये** की आंशिक राशि भी दूषित एवं लेयरिंग किए गए धन से एकत्रित की गई थी तथा उसे वास्तविक पुनर्भुगतान के रूप में प्रदर्शित किया गया, जबकि धोखाधड़ी से प्राप्त **11.60 करोड़ रुपये** की राशि अब भी वापस नहीं की गई है।

अप्रैल, 2025 में पीएमएलए की धारा 17 के अंतर्गत की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान मौद्रिक लेन-देन से संबंधित हस्तलिखित अभिलेख, एक व्यक्तिगत डायरी, संपत्ति संबंधी दस्तावेज तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद एवं जब्त किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने एक अन्य व्यवसायी के साथ धोखाधड़ी करने के लिए भी इसी प्रकार की कार्यप्रणाली अपनाई थी।

जांच के दौरान कृष्ण कुमार श्रीवास्तव से पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के अंतर्गत पूछताछ की गई। तथापि, उसने टालमटोल एवं असहयोगपूर्ण उत्तर दिए, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया तथा अपराध से अर्जित आय के शोधन से संबंधित समस्त तथ्यों का खुलासा नहीं किया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।